डॉ0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रवेश नियमावली सत्र 2014-15

यह नियम विश्वविद्यालय अधिनियम परिनियम तथा अध्यादेशों के अधीन ही मान्य होगें तथा महाविद्यालयों में कला, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि तथा विधि (एल.एल.बी. प्रथम वर्ष एवम् एल.एल.एम. प्रथम वर्ष) संकायों की कक्षाओं में प्रवेश के लिए लागू होंगे।

सामान्य निर्देश

1. (अ) प्रत्येक महाविद्यालय अपनी विवरण "प्रोस्पेक्ट्स" तैयार करायेगा, जिसमें प्रवेश नियमों, निर्धारित शुल्कों तथा महाविद्यालय सम्बन्धी आवश्यक सूचनाओं का विवरण होगा। आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र भी इस पुस्तिका में संलग्न होंगे तथा सभी कक्षाओं के लिए एक ही विवरण पुस्तिका होगी। सभी पाठ्यक्रम इस पुस्तिका में सम्मिलित किये जायेगें।

(ब) विवरण पुस्तिका में मात्र 2014-15 के लिए प्रत्येक कक्षा में निर्धारित सामान्य व आरक्षित सीटों का विवरण प्रकाशित करना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में 21 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जातियों, 27 प्रतिशत स्थान पिछड़ी जातियों, 2 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों तथा 3 प्रतिशत स्थान विकलांगों के लिए, छात्र के स्वयं से सम्बन्धित वर्ग (कैटेगरी) के अन्तर्गत ही आरक्षित होगें। विकलागों के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(स) सम्बन्धित महाविद्यालयों में विवरण पुस्तिका रूपये 150/- नकद तथा पंजीकृत डाक द्वारा रूपये 180/- लिया जायेगा।

(द) प्रत्येक महाविद्यालय को अपने महाविद्यालय की वेवसाइट तैयार करना अनिवार्य होगा पर इच्छुक छात्रों को विवरण-पुस्तिका उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। विवरण-पुस्तिका में विश्वविद्यालय की वेवसाइट तथा महाविद्यालय की वेवसाइट का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

2. (अ) सत्र 2014-2015 के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकायों की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष के 'त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम' तथा कृषि संकाय की स्नातक कक्षाओं के प्रथम वर्ष 'चतुर्थवर्षीय पाठ्यक्रम' में ही प्रवेश दिये जायेगें। यदि छात्र अन्य किसी वर्ष में उक्त पाठ्यक्रमों के किसी विषय में प्रवेश लेना चाहें तो पत्राचार पाठ्यक्रम में, केवल उन विषयों में जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध हो, प्रवेश ले सकते हैं।

(ब) महाविद्यालयों में एल०एल०बी० "प्रथम वर्ष" तथा एल०एल०एम० "प्रथम वर्ष" में प्रवेश योग्यता के आधार पर किये जायेंगे। एल०एल०बी० "प्रथम वर्ष" के प्रवेश हेतु अभ्यर्थी अर्ह होंगे, जिन्होनें स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हैं। पंचवर्षीय एल०एल०बी० पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हता 10+2 होगी, जिसमें 45 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए 5 प्रतिशत अंक की छूट होगी। निर्धारित मानकों के आधार पर सभी श्रेणियों के लिए पृथक-पृथक योग्यता सूचियाँ बनाई जायेंगी। ऐसी सूचियों में 30 प्रतिशत अभ्यर्थी प्रतीक्षासूची में सम्मिलित छात्र भी होंगे, जिनको योग्यताक्रमानुसार प्रवेश दिये जायेंगे। किन्तु प्रवेश आरक्षण सम्बन्धी शासनादेश संख्या 2638/15-94-15/66/89 दिनांक 30-07-1994 में उल्लिखित प्राविधानों का पालन भी अब सुनिश्चित करना होगा।

(स) सभी संकायों की स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष के लिए आवेदन-पत्रों के पंजीकरण की अन्तिम तिथि 31 जुलाई 2014 होगी तथा शुल्क आदि जमा करके प्रवेश प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 05 अगस्त 2014 होगी। किसी भी परिस्थिति में प्रवेश 31 अगस्त 2013 के पश्चात् नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिनका परीक्षाफल घोषित रोका गया हो, परीक्षाफल घोषित होने के 15 दिन तक प्रवेश ले सकेंगे, यदि कक्षा में स्थान उपलब्ध हो।

महाविद्यालयों के खुलने की तिथि	27 जुलाई, 2014
स्नातक प्रथम वर्ष प्रवेश हेतु पंजीकरण की अन्तिम तिथि	31 जुलाई, 2014
प्रथम वर्ष के लिए फीस जमा करने की अन्तिम तिथि	14 अगस्त, 2014
प्रथम वर्ष की कक्षायें प्रारम्भ होने की तिथि	18 अगस्त, 2014
स्नातक स्तर पर द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं के उत्तरार्द्ध की कक्षायें प्रारम्भ करने की तिथि	31 अगस्त, 2014

(द) सत्र 2013-14 में प्रवेश के इच्छुक समस्त अभ्यर्थी सम्बन्धित अर्ह परीक्षा का परिणाम विश्वविद्यालय द्वारा घोषित होने पर अंकतालिका के निर्गत होने के दिनांक के 15 दिन के अन्दर निर्धारित शुल्क जमा करके प्रवेश हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय में अपना पंजीकरण करा सकेंगे। यदि सम्बन्धित महाविद्यालय में स्थान रिक्त है तथा प्रवेशार्थी समस्त वैधानिक प्रतिबन्ध को पूर्ण करता हो।

3. (अ) प्रवेश सूची मय योग्यता अंक सहित कॉलेज सूचना पट 'नोटिस बोर्ड' पर लगा दी जायेगी। छात्र तद्नुसार प्रवेश ले लें।

(ब) महाविद्यालय के स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं के द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सम्बन्धित पिछले वर्ष की कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को प्रवेश मिलेगा, यदि उनका प्रवेश किसी अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित न हो।

(स) कला एवं वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र उन्होंनें स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष की या स्नातक प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में उत्तीर्ण की हो और कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

4. (अ) स्नातकोत्तर उपाधि के धारक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के अतिरिक्त किसी अन्य विषय से स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश नहीं ले सकेंगे।

(ब) किसी कक्षा में अनुत्तीर्ण छात्र पुनः संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश हेतु वर्जित रहेंगे। ये छात्र भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे।

(स) यदि छात्र कला, वाणिज्य, विज्ञान, कृषि तथा विधि स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के इच्छुक है और उसकी आर्हता परीक्षा में अन्तराल है तो ऐसी दशा में प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वह अधिकतम 2 वर्ष के अन्तराल के प्रवेश हेतु विचार कर सकता है। अन्तराल आर्हता परीक्षा पाठ्यक्रम से 2 वर्ष तक का ही विचारणीय होगा।

(द) ऐसे सभी छात्र जिन्होंने एल.एल.बी. की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो, एल.एल.एम. कक्षा को छोड़कर किसी अन्य स्नातकोत्तर कक्षा में संस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश पाने के अधिकारी नहीं होंगे।

(य). कला, वाणिज्य संकाय के ऐसे छात्र जो किसी कक्षा में सस्थागत छात्र के रूप में प्रवेश ले चुके हों, परन्तु जिन्होंने सत्र के बीच में पढ़ाई छोड़ दी हो या परीक्षा में सम्मिलित न हुए हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय की किसी भी कक्षा में पुनः प्रवेश नहीं पा सकेंगे। ऐसे छात्र व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में परीक्षा दे सकेंगे।

"यह प्रतिबन्ध उन छात्रों पर लागू नहीं होगा, जिन्होंने संस्थागत छात्र के रूप में कोई प्रयोगात्मक विषय लिया हो पुनः उसी कक्षा/विषय में प्रवेश चाहता हो या जिसे विश्वविद्यालय द्वारा किसी छूआछूत की बीमारी के कारण परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया हो अथवा जिन्हें भूतपूर्व छात्र या व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने की सुविधा न हो।"

प्राचार्य की प्रवेश के मामले में डा० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, आगरा विवरण पुस्तिका के अध्याय-19 के नीचे उद्धृत अध्यादेश-2, के अनुसार कर्तव्य और अधिकार होंगे -

"Subject to order issued under sub-section (4) of section 28 of the act, the Principal shall be the sole authority to admit or refuse to admit any applicant to any class in his college. He shall however, duly and strictly, follow the norms and principles, if any, laid down by the University and such other directions as may be given to him from time to time by the University. Provided that the Principal may, at his discretion refuse to admit a candidate even if he is entitled for admission according to norms and principles laid down by the University and shall report all such cases to the admission committee forthwith."

स्पष्टीकरण :- उदाहरणार्थ निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रवेश देने से इंकार किया जा सकता है।

(1) यदि अभ्यर्थी किसी शिक्षा संस्थान में अनुशासनहीनता के आरोप में दोषी पाया गया हो।

(2) यदि अभ्यर्थी किसी भी न्यायालय द्वारा नैतिक अपराध में दण्डित किया गया हो या शासन द्वारा किसी अपराध में पंजीकृत किया गया हो और न्यायालय में निर्णय के लिए विचाराधीन हो।

5. (अ) स्नातक कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अर्हता निम्न प्रकार होगी :

(i) बी०एस-सी० 'फिजीकल साइंस' के लिए इण्टरमीडिएट गणित या समकक्ष मान्यता प्राप्त परीक्षा में उत्तीर्ण।

(ii) बी०एस-सी० लाइफ साइंस के लिये इण्टरमीडिएट बायलोजी ग्रुप या इण्टर कृषि परीक्षा में उत्तीर्ण।

(iii) बी०एस-सी० (कृषि) के लिए इण्टरमीडिएट कृषि या इण्टरमीडिएट साइंस बायोलॉजी अथवा गणित उत्तीर्ण।

(iv) बी०ए०/बी०कॉम० के लिए इण्टरमीडिएट के किसी भी ग्रुप की परीक्षा में उत्तीर्ण।

(ब) कृषि/विज्ञान संकाय के स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए बी०एस-सी० (कृषि)/बी०एस-सी० परीक्षा में उत्तीर्ण किन्तु स्नातक परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक तथा सम्बन्धित विषय में 50 प्रतिशत अंक होना अनिवार्य है। किन्तु अनुसूचि जाति/जनजाति के छात्रों को 5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(स) कला, विज्ञान, वाणिज्य संकायों की स्नातकोतर कक्षा के प्रथम वर्ष के लिए त्रिवर्षीय डिग्री धारक अथवा ब्रिज कोर्स उत्तीर्ण किये हुये द्विवर्षीय डिग्री धारक अभ्यर्थी अर्ह होंगे, लेकिन इस प्रतिबन्ध से ऐसे अभ्यर्थियों को छूट होगी, जिन्होनें वर्ष 1985 से पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 10+2+2 सिस्टम में स्नातक उपाधि ले रखी है। कृषि संकाय में स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश हेतु अर्हता 1989 तथा इससे पूर्व 10+2+3 तत्पश्चात् 10+2+4 होगी।

(द) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम वर्ष में प्रवेश निम्न प्रकार किये जायेंगे :-

(i) विश्वविद्यालय की भौगोलिक सीमाओं में स्थित स्थाई रूप से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं उन्हीं जनपदों के इण्टरमीडिएट कॉलेजों के आने वाले उन अभ्यर्थियों को 80 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा, जिन छात्रों ने 10 एवं 10+2 की परीक्षा उत्तर प्रदेश आगरा मण्डल की सीमा के अन्तर्गत स्थित इण्टरमीडिएट कॉलेजों से उत्तीर्ण की हो तथा स्नातक स्तर की परीक्षा यू०पी० आगरा मण्डल तथा डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के महाविद्यालयों से उत्तीर्ण की हो। किन्तु एम०एस-सी० कृषि के प्रवेश के लिये हाईस्कूल की परीक्षा यू०पी० आगरा मण्डल उत्तीर्ण होना आवश्यक नहीं है। स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु 50 प्रतिशत वरीयता अपने स्नातकों को दी जा सकती है।

(ii) शेष 20 प्रतिशत स्थानों पर अन्य संस्थाओं से आने वाले छात्रों को प्रवेश दिया जायेगा, जिनमें 5 प्रतिशत विदेशी छात्र भी सम्मिलित है, यदि उनका योग्यतांक ऊपर के भाग (1) के अभ्यर्थियों से अधिक हो।

(iii) शासनादेश संख्या जी०आई० 35/सत्तर-1-2000 दिनांक 23 सितम्बर, 2000 के अन्तर्गत कश्मीर के विस्थापित छात्र-छात्राओं को दो स्थानों में प्रवेश दिया जायेगा।

(iv) भाग-2 तथा 3 में रिक्त स्थानों की पूर्ति भाग-1 के अभ्यर्थियों से योग्यता क्रमानुसार की जायेगी। विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट वीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

(v) विदेशी छात्रों को तभी प्रवेश दिया जायेगा, जब उनके पास स्टूडेण्ट बीजा हो तथा भारत सरकार के गृह मंत्रालय एवं प्रदेशीय सरकार के विदेशी रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा स्वीकृति हो तथा कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम अर्हता रखते हो। ऐसे समस्त विदेशी छात्रों को जिन्हें सम्बन्धित दूतावास द्वारा संस्तुत किया गया हो, विश्वविद्यालय की एक समिति द्वारा स्क्रीनिंग करने के उपरान्त कुलसचिव के हस्ताक्षरयुक्त अनुमति पत्र दिये जाने पर ही महाविद्यालयों द्वारा प्रवेश दिया जायेगा।

(i) अधिष्ठाता छात्र कल्याण।

(ii) प्रत्येक जिले का वरिष्ठतम प्राचार्य-चक्रमानुसार।

(iii) एस.एन. मैडीकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा नामित-मेडिसन के वरिष्ठ प्राध्यापक

नोट : कोई भी महाविद्यालय एवं स्ववित्त पोषित महाविद्यालय बिना विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति के विदेशी छात्रों को प्रवेश 'प्रोवीजनल' भी नहीं देगा।

(vi) समय-समय पर दिये गये शासनादेशों के अनुपालन में किसी भी महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर वर्ष में संध्याकालीन कक्षाओं के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। इसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(vii) समिति का यह निर्णय है कि शासन द्वारा समय-समय पर दिये निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जाये।

6. शैक्षणिक अंकों की गणना :-

(क) स्नातक कक्षायें :-

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।
2. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-

1. इण्टरमीडिएट परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट : विश्वविद्यालय द्वारा संचालित प्री-यूनिवर्सिटी, प्री-इंजीनियरिंग, प्री-मेडीकल तथा 11+1+3 पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष की परीक्षा हायर सैकेण्डरी बोर्ड की 10+2 परीक्षा भी इण्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष मान्य है। यदि विद्यार्थी ने हाईस्कूल के स्थान पर हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, तो उसे प्राप्त प्रतिशत अंकों का 50 प्रतिशत गणना के लिए, लिये जायेंगे।

अतिरिक्त अंक (अधिकतम 17 अंक)

शैक्षिक योग्यता अंकों के साथ निम्नलिखित अंकों, जहाँ अनुमन्य हो, को जोड़कर योग्यता सूची बनेगी लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(क) स्नातक कक्षायें :-

(1) क्षेत्रीय स्तर की टीम के सदस्य के रूप में राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए। — 5 अंक

(2) एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण केडिटों को — 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण केडिटों को — 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पो में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। — 3 अंक

(३) स्वतन्त्रता सेनानी के पुत्र/पुत्री (अविवाहित अथवा पौत्र/पौत्री) — 5 अंक

(ख) स्नातकोत्तर कक्षायें :-

(1) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु 5 अंक

(2) एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण कैडिटों को 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण कैडिटों को 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० कैडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पो में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। 3 अंक

(3) एन०एस०एस० में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

(4) महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने एक रैली में विश्वविद्यालय स्तर पर भाग लिया हो। 3 अंक

अथवा

महाविद्यालय स्तर पर रोवर्स रेंजर्स के सदस्य को जिसने अन्तर विश्वविद्यालय रैली में भाग लिया हो। 5 अंक

नोट : उपर्युक्त 1 से 4 के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी द्वारा दिया हुआ प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्ट्स काउन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रति हस्ताक्षरित/एन०सी०सी० अधिकारी/एनएस०एस० समन्वयक द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र/रोवर्स रेंजर्स के लिए समन्वयक (रोवर्स रेंजर्स) द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

(ग) सभी कक्षायें :-

(1) डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय और उससे सम्बद्ध महाविद्यालयों में सेवारत एवं स्ववित्त पोषित संस्थान के विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित अनुबन्धित प्रवक्ता तथा अवकाश प्राप्त केवल स्थायी/अध्यापकों एवं कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री तथा कृषि संकाय में स्थायी परियोजनाओं के स्थायी कर्मचारियों के पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री। 17 अंक

(2) भारतीय सेना में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति-पत्नी/पुत्र-पुत्री (अविवाहित) 10 अंक

(3) कारगिल के आपरेशन विजय के शहीदों के पुत्र/पुत्री/विधवाओं को प्रवेश में 17 अंक

टिप्पणी : (1) प्रत्येक अभ्यर्थी अपने आवेदन-पत्र में शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अनुमन्य अंकों की प्रमाणिकता की घोषणा स्वयं करें। यदि यह घोषणा गलत पाई गयी तो उसकी पात्रता निरस्त कर दी जायेगी।

(2) प्रवेश हेतु वरीयता सूची के घोषित होने के बाद अनुमन्य अंकों के प्रमाण-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अन्य कोई अभिलेख बाद में विचारार्थ स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट : किस व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जाये, तब तक सेवा में रहने का अधिकारी था।

(घ) एल०एल०बी० (प्रथम वर्ष) :-

(1) एल०एल०बी० की प्रथम वर्ष में प्रवेश केवल योग्यता क्रम के आधार पर ही दिये जायेंगे। योग्यता सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(अ-1) शैक्षणिक अंकों की गणना (त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु) :-

1. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 50 प्रतिशत।
2. स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का 100 प्रतिशत।

(अ-2) शैक्षणिक अंकों की गणना (10+2) के बाद (पंचवर्षीय पाठ्यक्रम हेतु) :-

1. हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त का 50 प्रतिशत।
2. इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त प्रतिशत अंकों का 100 प्रतिशत।

नोट : त्रिवर्षीय डिग्री के प्राप्तांक अथवा द्विवर्षीय के प्राप्तांक के साथ ब्रिज कोर्स के प्राप्तांको को जोड़कर प्रतिशत निकाला जायेगा, जिन अभ्यर्थियों ने सन् 1985 से पूर्व स्नातक उपाधि प्राप्त कर ली है, उनकी यह उपाधि इस तथ्य के बावजूद कि उनकी स्नातक डिग्री की अवधि जो कुछ रही हो, त्रिवर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के समकक्ष मानी जायेगी।

(इ) **एल०एल०एम० (प्रथम वर्ष) :-**

एल०एल०एम० प्रथम वर्ष में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर ही दिये जायेंगे। योग्यता सूची शैक्षणिक एवं अतिरिक्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी।

(अ) शैक्षणिक अंकों की गणना :-

एल०एल०एम० प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए विधि की सम्पूर्ण परीक्षा में प्राप्त अंकों का शत प्रतिशत।

अतिरिक्त अंको की गणना :-

एल०एल०बी०/एल०एल०एम० के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता के अंकों के साथ निमनलिखित अंकों को जोड़कर योग्यता सूची बनाई जायेगी लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि अतिरिक्त अंकों का कुल योग 17 अंकों से अधिक नहीं होगा।

(1) विश्वविद्यालय की टीम के सदस्य के रूप में अर्न्तविश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने हेतु। 5 अंक

(2) एन०सी०सी० "सी" सर्टीफिकेट/जी-2 उत्तीर्ण 8 अंक

अथवा

एन०सी०सी० "बी" सर्टीफिकेट/जी-1 उत्तीर्ण 6 अंक

अथवा

एन०सी०सी० केडिट जिन्होंने 240 घण्टे कार्य किया है और 2 कैम्पों में भाग लिया है, लेकिन कोई परीक्षा उत्तीर्ण नही की है। 3 अंक

(3) एन०एस०एस० में 240 घण्टे का कार्य तथा कम से कम एक कैम्प पूरा करने के लिए 5 अंक

(4) अम्बेदकर विश्वविद्यालय तथा उसके सम्बद्ध महाविद्यालय में सेवारत एवं अवकाश प्राप्त केवल स्थाई अध्यापक एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री/स्वयं जो उन पर आश्रित हों। 17 अंक

(5) भारतीय सेवा में सेवारत अथवा अवकाश प्राप्त अधिकारियों या अन्य रैंक के केवल पति/पत्नी/पुत्र/पुत्री (अविवाहित) 10 अंक

नोट : 1. किसी व्यक्ति की सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु होने की दशा में इस नियम के अन्तर्गत उसको उस समय तक सेवारत समझा जावे, जब तक वह सेवा में रहने का अधिकारी था।

2. उपर्युक्त "1" से "3" तक के सन्दर्भ में शासन के खेलकूद अधिकारी के द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र अथवा विश्वविद्यालय खेलकूद अधिकारी स्पोर्टस कौन्सिल कमेटी के अध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/एन०सी०सी० अधिकारी/एन००एस०एस० अधिकारी द्वारा निर्गत किया हुआ प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

7. (अ) कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक विषयों को छोड़कर अन्य विषय में प्रवेश दिया जा सकता है।

(ब) कृषि विज्ञान संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं में 5 प्रतिशत स्थान ऐसे अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित होंगे, जो सेवारत हों और जिनकी कम से कम 5 वर्ष की नियमित स्थायी सेवा हो, यदि उनका प्रवेश अन्य नियमों के अन्तर्गत प्रतिबन्धित नही हो। ऐसे अभ्यर्थी को नियमित सेवा का प्रमाण-पत्र अपने नियोक्ता से लेकर लगाना होगा।

(स) सामान्यतः स्नातक कक्षा के एक सैक्शन में 70 छात्रों को महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा प्रवेश दिया जायेगा। उसके आगे विशेष परिस्थितियों में 10 सीटें अधिक प्रदान करने का अधिकार कुलपति को होगा, लेकिन इसके लिए प्राचार्य अतिरिक्त स्टाफ की माँग नहीं करेंगे। कक्षा में प्रवेश की कुल संख्या स्वीकृत सैक्शनों की संख्या पर आधारित होगी।

प्रवेश नियम, निषेध एवं निरस्तीकरण

प्रवेशार्थियों हेतु महत्वपूर्ण निर्देश

1. इस विवरण पत्रिका को ध्यान से पढ़े तथा इसमें वर्णित विभिन्न नियमों का पालन करें।
2. समस्त प्रवेश डॉ० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा प्रवेश नियमावली 2014-15 के आधार पर किये जायेंगे। अतः अभ्यर्थी सर्वप्रथम विश्वविद्यालय प्रवेश नियमावली का आधार करें और तत्पश्चात् प्रवेश आवेदन-पत्र साफ-साफ भरकर प्रस्तुत करें।
3. नवीन प्रवेशार्थी प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ निम्न प्रमाण-पत्र एवं अन्य पत्र संलग्न करेंगे -

(क) मूल प्रति

(1) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र।

(2) प्रवास प्रमाण-पत्र।

(3) यदि प्रवेशार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जाति का है तो तत्सम्बन्धी जाति प्रमाण-पत्र।

(4) यदि प्रवेशार्थी महाविद्यालय/डॉ. भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय के कर्मचारी (जिनमें अध्यापक भी सम्मिलित है) की सन्तान है तो तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(ख) सत्यापित फोटो प्रतिलिपियाँ

(1) जन्मतिथि प्रमाण-पत्र।

(2) चरित्र/आचरण प्रमाण-पत्र जिस संस्था में प्रवेशार्थी विगत सत्र में पढ़ चुका है, उसके प्राचार्य द्वारा प्रदत्त।

(3) हाईस्कूल और उसके उपरान्त जो भी परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों, सभी की अंक तालिकाएँ।

(4) यदि प्रवेशार्थी राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर का खिलाड़ी तो तत्सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

(5) आय प्रमाण-पत्र (फीस प्रतिपूर्ति एवं छात्रवृत्ति फार्म हेतु) मूलरूप में जमा करना होगा।

(ग) अन्य पत्र

(1) साक्षात्कार सूचना कार्ड।

(2) चरित्र सम्बन्धी विवरण-पत्र।

नोट - उपरोक्त सत्यापित फोटो प्रतिलिपयों की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रवेशार्थी साक्षात्कार के समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें।

4. बी.एड. एम.एड., बी.टी.सी., बी.पी.एड. कक्षा में प्रवेश लेने वाले ऐसे विद्यार्थी जो सत्र <u>2013-14</u> में इस महाविद्यालय के छात्र रह चुके हैं उपरोक्त खण्ड (क) और (ख) में वर्णित आवश्यक प्रमाण-पत्र (केवल टी.सी. एवं आव्रजन प्रमाण-पत्र को छोड़कर) तदनुसार प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें तथा सत्यापित प्रमाण-पत्रों की मूलप्रतियाँ साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करें। वे अपने चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रपत्र और परिचय-पत्र भी उसी समय नवीकृत करा लें।
5. बी.ए./बी.कॉम. द्वितीय वर्ष कक्षा में प्रवेश के आकांक्षी ऐसे विद्यार्थी, जो सत्र <u>2011-2012</u> में इस महाविद्यालय में अध्ययन कर चुके हैं केवल अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने से सम्बन्धित अंकतालिका की सत्यापित फोटो प्रतिलिपि प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। इन प्रवेशार्थियों के चरित्र सम्बन्धी विवरण प्रपत्र और परिचय पत्रों का नवीनीकरण साक्षात्कार के समय किया जायेगा। पासपोर्ट साइज के फोटो साथ लावें।
6. प्रत्येक कक्षा के ऐसे प्रवेशार्थी जिनको नवीन प्रवेशार्थी की संज्ञा दी गयी है, अपना नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो खिंचवाकर एक प्रति अपने प्रवेश आवेदन-पत्र पर यथास्थान चिपका दें तथा प्रवेश स्वीकार किये जाने पर दूसरी प्रति परिचय-पत्र पर यथास्थान चिपका दें।
7. यदि प्रवेशार्थी शासकीय/अर्द्धशासकीय/प्राइवेट विभाग में सेवारत है तो उस स्व-विभागीय सर्वोच्च पदाधिकारी के अनुमति-पत्र की मूल प्रति प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करनी चाहिए। ऐसा न करने और बाद में पता चलने पर कि

TechNova NovaDon USR 1410920030 0229K14 0147

अभ्यर्थी सेवारत है, प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा और इसकी सूचना उसके पदाधिकारी को दे दी जायेगी।

8. प्रत्येक अभ्यर्थी के प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ एक साक्षात्कार सूचना कार्ड मिलेगा। जिस पर अभ्यर्थी को स्पष्ट अक्षरों में केवल पता लिखना है, अगर डाक से मंगाना है तो वह पता लिखें जिस पर उसे साक्षात्कार के लिए सूचना मिल सके।

9. प्रवेश आवेदन-पत्र में आवश्यक प्रविष्टियाँ भरने और आवश्यक प्रमाण-पत्र संलग्न करने के उपरान्त अभ्यर्थी उसे कार्यालय में जमा करा दें। कार्यालय उन्हें प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की रसीद और साक्षात्कार सूचना कार्ड देगा। रसीद पर जो संख्या लिखी होगी, वही पंजीकरण संख्या कहलायेगी। इस रसीद को अभ्यर्थी सुरक्षित रखें।

10. बी.ए./बी.कॉम. प्रथम वर्ष की कक्षाओं में प्रवेश आवेदन-पत्र महाविद्यालय में 20 जुलाई, 2014 को सायं 4 बजे तक पहुंच जाने चाहिए। उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। शुल्क आदि जमा करके अभ्यर्थी को अपना प्रवेश पूर्ण करा लेना चाहिए। इसके उपरान्त प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

11. अन्य कक्षाओं में प्रवेश हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने और प्रवेश पूर्ण होने की तिथियाँ डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय नियमावली 2014-15 के अनुसार होगी, जिसकी जानकारी महाविद्यालय सूचनापट पर विद्यार्थियों को मिल सकेगी।

12. आवेदन-पत्र को ठीक तरह से भरने एवं प्रविष्टियाँ पूरी करने का उत्तरदायित्व विद्यार्थी का है। अपूर्ण, अशुद्ध आवेदन-पत्र विचारणीय नहीं होंगे और उन्हें निरस्त कर दिया जायेगा।

13. प्रवेश सामान्यतः मध्यान्ह 1 बजे तक पूरा करना होगा।

14. साक्षात्कार वाले दिन अभ्यर्थी प्रातः 9 बजे प्रवेश अधिकारी के समक्ष एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ उपस्थित होंगे जो उसके समस्त मूल प्रमाण-पत्रों की जांच करने के उपरान्त प्रवेश की संस्तुति करेंगे।

15. प्रवेश की संस्तुति होने पर कार्यालय में प्रवेश शुल्क जमा करने के पश्चात् अभ्यर्थी अपना फोटो लगा हुआ पूरित परिचय-पत्र अनुशासन अधिकारी द्वारा प्रमाणित करायेगा।

16. कॉलेज की किसी भी कक्षा में प्रवेश देने अथवा न देने तथा प्रवेश को निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा एवं वह इस विषय में कारण बताने के लिए बाध्य नहीं होंगे।

प्रवेश समितियाँ 2014-2015

1. बी.ए. प्रथम वर्ष

	संयोजक
1. डॉ. एस.सी. शर्मा	सदस्य
2. डॉ. गिर्राज सिंह	सदस्य
3. डॉ. देवेश कुमार	सदस्य
4. डॉ. राकेश कुमार	

2. बी.ए. द्वितीय वर्ष

	संयोजक
1. डॉ. अतुल कुमार यादव	सदस्य
2. डॉ. संजीव कुमार यादव	सदस्य
3. डॉ. राजीव कुमार	

3. बी.ए. तृतीय वर्ष

	संयोजक
1. डॉ. आर.एन. शर्मा	सदस्य
2. प्रो. जगदीश यादव	सदस्य
3. डॉ. देवेश कुमार	

4. बी.कॉम. प्रथम वर्ष

1. डॉ. जे.सी. जैन — संयोजक
2. डॉ. जी.के. गुप्ता — सदस्य
3. डॉ. एम.एल. अग्रवाल — सदस्य
4. श्री के.के. शर्मा — सदस्य

5. बी.कॉम. द्वितीय वर्ष

1. डॉ. जी.के. गुप्ता — संयोजक
2. डॉ. एस.के. गुप्ता — सदस्य

6. बी.कॉम. तृतीय वर्ष

1. डॉ. एम.एल. अग्रवाल — संयोजक
2. डॉ. वी.के. गुप्ता — सदस्य

7. एम.कॉम. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)

श्री. के.के. शर्मा — ग्रुप 'ए'
डॉ. जी.के. गुप्ता — ग्रुप 'बी'
डॉ. एम.एल. अग्रवाल — ग्रुप 'सी'

8. एम.ए. (पूर्वार्द्ध एवं उत्तरार्द्ध)

डॉ. वी.के. त्रिपाठी — भूगोल
डॉ. यू.सी. यादव — अंग्रेजी
डॉ. अतुल कुमार यादव — समाजशास्त्र
डॉ. गिरीज सिंह यादव — सैन्य अध्ययन
डॉ. राजीव कुमार — राजनीतिशास्त्र

9. बी.एड. एवं एम.एड.

1. डॉ. संजय कुमार यादव — संयोजक
2. डॉ. पी.के. गुप्ता — सदस्य
3. डॉ. के.के. यादव — सदस्य
4. श्री आर.एस. करौलिया — सदस्य
5. डॉ. (श्रीमती) सविता सिंह — सदस्य

10. बी.टी.सी.

1. डॉ. आर. के. सिंह — प्राचार्य
2. श्री अभिषेक यादव — सदस्य
3. श्रीमती सुधा यादव — सदस्य

11. बी.पी.एड.

1. प्रो. जगदीश यादव — संयोजक
2. श्रीमती सत्या यादव — सदस्य

TechHouse NovusDom USR 1410920030 0229K14 0147